



पंजीकृत कार्यालय: आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली
110019

सीआईएन: L74899DL1993GOI053677

ईमेल: complianceofficer@ifcilt.com

वेबसाइट: www.ifcilt.com

टेली: 91-(011) - 4173 2000, फ़ैक्स: 91- (011)- 2623 0201

पोस्टल वैलेट सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार]

सेवा में,
सदस्य
आईएफसीआई लिमिटेड

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम"), भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावती, 2015 ("सेबी एलओडीआई), कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में कम्पनी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सम्बंधित अन्य परिपत्रों के साथ पठित, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा साधारण बैठकों के बारे में जारी किए गए सचिवीय मानक ("सचिवीय मानक - 2"), वर्तमान में प्रभावी उनसे सम्बन्धित अन्य सांविधिक संशोधन (नों), आशोधन (नों), अथवा पुनर्नियमन(नों) और/अथवा वर्तमान में प्रभावी अन्य प्रयोज्य कानून नियम और विनियमों के अनुसरण में पोस्टल बैलेट नोटिस में निर्धारित विशेष कारोबार की मद के बारे में संव्यवहार करने एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए ("रिमोट ई-वोटिंग) की मार्फत साधारण संकल्प के रूप में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु एतद्वारा **नोटिस** दिया जाता है।

उपर्युक्त संदर्भित एमसीएस परिपत्रों के अनुपालन में, यह पोस्टल बैलेट नोटिस केवल उन्हीं सदस्यों को भेजा जा रहा है, जिन्होंने अपने ईमेल एड्रेस कम्पनी/ रजिस्ट्रार एण्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपोजिटरी/ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास रजिस्टर करवाए हैं और जिनके नाम 8 मई, 2022 की स्थिति अनुसार डिपोजिटरीज द्वारा उपलब्ध कराए गए कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।

विशेष कारोबार :

मद संख्या : रोटेशन के द्वारा रिटायर होने के अधीन, श्री कनकसबापथि कदिरेसन (डीआईएन : 09551363) की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार, और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करने के लिए:

"संकल्प किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धाराएं 149, 152, 161 और अन्य प्रयोज्य प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (सूचिकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के अन्य प्रयोज्य प्रावधानों और/अथवा अन्य प्रयोज्य कानूनों

(वर्तमान में प्रभावी अन्य सांविधिक संशोधनों, आशोधनों अथवा उनके पुनर्निर्माणों), और कम्पनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसरण में, श्री कनकसबापथि कदिरेसन (डीआईएन : 09551363), जिन्हें 30 मार्च, 2022 से बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, और जिनके बारे में कम्पनी के अधिनियम की धारा 160 के अधीन निदेशिता के लिए अभ्यर्थिता का लिखित प्रस्ताव का एक नोटिस प्राप्त हुआ है, को एतद्वारा रोटेशन के द्वारा रिटायर किए जाने के अधीन, कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।

पंजीकृत कार्यालय

आईएफसीआई टावर
61 नेहरू प्लेस
नई दिल्ली - 110 019
सीआईएन: L74899DL1993GOI053677
टेलीफोन: 011-41732000
फैक्स: 011-26230201
वेबसाइट: www.ifcilt.com
ई-मेल: complianceofficer@ifcilt.com

निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार

(प्रियंका शर्मा)
कम्पनी सचिव

दिनांक: 30 मार्च, 2022

टिप्पणियाँ:

1. इसके साथ सचिवीय मानक - 2 और अन्य प्रयोज्य विनियमन प्रावधानों के साथ पठित अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में, व्याख्यात्मक विवरण जिसमें इस पोस्टल बैलेट नोटिस की मद संख्या 1 में निर्धारित विशेष कारोबार की मदों के सम्बंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और कारणों का उल्लेख किया गया है, संलग्न है। इसके अतिरिक्त, इसके साथ सेबी एलडीओआर के विनियम 36 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसरण में, नियुक्ति के इच्छुक निदेशक का संक्षिप्त ब्योरा भी इसके साथ संलग्न है।
2. निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के 17/2020, 8 दिसंबर, 2021 के 20/2021 के साथ पठित अन्य संबन्धित परिपत्र (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित, में अन्य बातों के साथ-साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाक मतपत्र प्रक्रिया के संचालन की अनुमति दी गई है।
3. व्याख्यात्मक विवरण तथा रिमोट ई-वोटिंग करने के अनुदेशों के साथ यह पोस्टल बैलेट नोटिस केवल उन्हीं शेयर धारकों को ईमेल के द्वारा भेजा रहा है, जिन्होंने अपने ईमेल आईडी कम्पनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपोजिटरी/ डिपोजिटरी पार्टिसीपेंट के पास रजिस्टर्ड कराए हैं, और जिनके नाम 'कट ऑफ डेट' यानी रविवार, 8 मई, 2022 की स्थिति अनुसार कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। अतएव, एमसीएस

परिपत्रों के अनुसार, पोस्टल बैलेट नोटिस की प्रति तथा पोस्टल बैलेट प्रपत्र एवं पूर्व- प्रदत्त कारोबार उत्तर का लिफाफा सदस्यों को नहीं भेजा जा रहा है।

4. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (एमसीए) ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020; 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020; 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, अन्य प्रासंगिक परिपत्रों (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित, में अन्य बातों के साथ-साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाक मतपत्र प्रक्रिया के संचालन की अनुमति दी गई है।
5. कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, सेबी एलडीआर के विनियम 44 तथा दिनांक 9 दिसंबर 2020 के र सेबी परिपत्र, और एमसीए के उक्त संदर्भित परिपत्रों के अनुसार कम्पनी पोस्टल बैलेट नोटिस में दिये संकल्पों के संबंध में वोट देने के लिए अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य से, कम्पनी ने सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को प्राधिकृत एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करार किया है।
6. असाधारण महासभा के आयोजन की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.ifcilttd.com पर अपलोड की गई है। यह सूचना स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। सूचना सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा तथा ई-वोटिंग सिस्टम प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
7. इस पोस्टल बैलेट नोटिस और इसके व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित सम्बंधित दस्तावेज़ पोस्टल बैलेट की अवधि के दौरान सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। निरीक्षण के इच्छुक सदस्य complianceofficer@ifcilttd.com पर एक ईमेल भेजें जिसमें वे अपने नाम और फोलियो नं०/डीपीआईडी-क्लाइंट आईडी का उल्लेख करेंगे। संलग्न नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज़ और व्याख्यात्मक विवरण एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अन्य दस्तावेज़ शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों को प्रातः 11.00 बजे से स1.00 बजे के बीच रिमोट ई-वोटिंग की अवधि तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए खुले हैं।
8. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 15 मई, 2012 (प्रातः 9.00 बजे) (भारतीय मानक समय) को प्रारंभ होकर सोमवार, 13 जून, 2022 (5.00 बजे सांय) दोनों दिन मिलाकर, को समाप्त होगी। सदस्यों से अनुरोध कि उपर्युक्त

अवधि के दौरान, केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से ही इस पोस्टल बैलेट में निर्धारित किए गए संकल्प (ओं) के संबंध में अपनी सहमति (पक्ष में) अथवा असहमति (विपक्ष में) को दर्ज करें, जिसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा को डिसेबल कर दिया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विस्तृत “रिमोट ई-वोटिंग करने हेतु अनुदेशों” और इस पोस्टल बैलेट नोटिस के साथ संबद्ध अन्य टिप्पणियों को पूरा पढ़ें ।

9. कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने श्री देवेश वशिष्ठ (सदस्य संख्या एफ़ 8488, सीओपी – 13700) प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को तथा उनकी अनुपस्थिति में सुश्री प्रियंका (सदस्य संख्या ए 41459, सीओपी – 16187) प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव,, संजय ग्रोवर एण्ड एसोसिएट्स, को इस पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को स्वच्छ व पारदर्शी तरीके से करवाने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है।
10. पोस्टल बैलेट के परिणाम संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर निर्धारित समय के भीतर घोषित किए जाएंगे। संवीक्षक के रिपोर्ट के साथ वोटिंग परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.ifcilttd.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी अपलोड किए जाएंगे। वोटिंग के परिणाम संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ इसके पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध होंगे
11. आवश्यक बहुमत के द्वारा पारित होने पर संकल्प को, रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोटिंग करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख यानी सोमवार , 13 जून, 2022, को महासभा में विधिवत पारित किया गया संकल्प माना जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग से मतदान करने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 15 मई, 2022 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) से आरम्भ होगी और सोमवार , जून 13, 2022 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयर धारक , जिनके पास शेयर भौतिक रूप में अथवा डिमेट रूप में हैं, कट ऑफ दिनांक के अनुसार, एलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकेंगे। तत्पश्चात् सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा ।

- (i) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 15 मई, 2022 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) से आरम्भ होगी और सोमवार, जून 13, 2022 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में अथवा डिमेट रूप में हैं, कट ऑफ दिनांक के अनुसार, एलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकेंगे। तत्पश्चात् सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा।
- (ii) सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा दी गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसार डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों को भागीदारों और डिपाजिटरी भागीदारों के पास रखे गए उनके डी-मैट खातों के माध्यम से वोट डालने की अनुमति दी गई है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग सुविधा लेने के लिए अपने डी-मैट खातों में अपना मोबाइल नं. और ई-मेल आईडी को अपडेट करें।
- (iii) ऊपर निर्दिष्ट सेबी परिपत्र के अनुसरण में डी-मैट रूप से प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए लॉग-इन करने की पद्धति नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का स्वरूप	लॉग-इन पद्धति
सीडीएसएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	<p>1) जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल की ईजी/ईजीएस्ट सुविधा का विकल्प दिया है वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर सकते हैं। आगे किसी प्रमाणिकता के बिना ई वोटिंग वाले पेज पर पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ईजीएस्ट पर लॉगइन करने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/loginया www.cdslindia.com है और लॉगइन आईकॉन पर क्लिक करें और न्यूसिस्टम माईईजी को स्लेक्ट करें।</p> <p>2) ईजी/ईजीएस्ट पर सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद प्रयोक्ता ईवोटिंग मैन्यू को देख सकेंगे। निर्गमकर्ता/कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ईवोटिंग मैन्यू पर क्लिक करने पर प्रयोक्ता सम्बन्धित ईवोटिंग सर्विस प्रोवाइडर (ईएसपी) अर्थात् सीडीएसएल के लिंक सहित अपनी धारिता को देख सकेंगे। तदनुसार हम ईएसपी को लिंक उपलब्ध करा रहे हैं ताकि प्रयोक्ता ईवोटिंग सर्विस प्रोवाइडर की साइट पर सीधे ही पहुंच सकें।</p>

	<p>3) यदि प्रयोक्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है तो https://web.cdslindia.com/myeasy/registration/EasiRegistration पर पंजीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध है।</p> <p>4) वैकल्पिक रूप से, प्रयोक्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डी-मैट खाता नं. और पैन नं. देते हुए ईवोटिंग वाले पेज पर सीधे ही पहुंच सकता है। यह सिस्टम डी-मैट खाते में रिकार्ड किए गए पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर प्रयोक्ता को प्रमाणित करेगा। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद प्रयोक्ता को सम्बन्धित ईएसपी, जहां ईजीएम के दौरान या उससे पूर्व ई-वोटिंग होती है, के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।</p>
<p>एनएसडीएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक</p>	<p>1) यदि आप एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट पर जाएं। या तो निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोल सकते हैं। ई-सर्विस का होम पेज खुल जाने पर "लागइन", जो आईडीईएस सेक्शन के अधीन उपलब्ध है के अन्तर्गत "बेनिफिशियल ऑनर" आईकॉन पर क्लिक करें, जिससे एक नया स्क्रीन खुल जाएगा। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद आप ई-वोटिंग सर्विसिज को देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विसिज के अधीन "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज को देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ईएसपी नाम पर क्लिक करें और इससे आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि या वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने या बैठक के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाने का निदेश दिया जाएगा।</p> <p>2) यदि प्रयोक्ता आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं है तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध है। "रजिस्टर ऑनलाईन फॉर आईडीईएस पोर्टल" का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/secureweb/ideasdirectreg.jsp पर क्लिक करें।</p> <p>3) एनएसडीएल की ईवोटिंग वेबसाइट पर जाएं। या तो अपने पर्सनल कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://evoting.nsdl.com को टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोले। ईवोटिंग सिस्टम का होम पेज खुल जाने पर "लागइन" आईकॉन पर क्लिक करें जो शेयरधारक/ मेम्बर सेक्शन पर उपलब्ध है। इससे एक नया स्क्रीन खुल जाएगा। आपको यहां अपना यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के पास आपका 16 अंकों वाला डीमैट अकाउंट नम्बर),</p>

	<p>पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोड डालना होगा। सफलता प्रमाणीकरण होने के बाद एनएसडीएल डिपोजिटरी साइट पर जाने का निर्देश दिया जाएगा। कम्पनी के नाम या ईवोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और इससे आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि या वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने या बैठक के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाने का निर्देश दिया जाएगा।</p>
<p>अपने डिपोजिटरी भागीदार के माध्यम से लॉगइन करने वाले शेयरधारक (डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले)</p>	<p>ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपोजिटरी भागीदार के माध्यम से अपने डी-मैट खाते की लॉगइन साख का उपयोग करते हुए भी लॉगइन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगइन होने के बाद आप ई-वोटिंग का विकल्प देख सकेंगे। जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं तो प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो जाने के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल भागीदार की साइट पर जाने का निर्देश दिया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग के फीचर्स देख सकेंगे। कम्पनी के नाम अर्थात् आईएफसीआई लिमिटेड या ईएसपी नाम पर क्लिक करें और इससे आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि या वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने या बैठक के दौरान अपना वोट डालने के लिए ईएसपी की वेबसाइट पर जाने का निर्देश दिया जाएगा।</p>

महत्वपूर्ण टिप्पणी: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड भूल गए हैं उनसे अनुरोध है कि वे ऊपर निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगैट यूजर आईडी और फॉरगैट पासवर्ड ऑप्शन का उपयोग करें।

भागीदार अर्थात् सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन से सम्बन्धित किसी तकनीकी मामले के लिए डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए हैल्पडैस्क।

लॉगइन का प्रकार	हैल्पडैस्क के विवरण
<p>सीडीएसएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक</p>	<p>लॉगइन में किसी तकनीकी रूकावट के लिए सदस्य सीडीएसएल के helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज कर अनुरोध कर सकते हैं या 1800 225 533 पर संपर्क कर सकते हैं।</p>
<p>एनएसडीएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक</p>	<p>लॉगइन में किसी तकनीकी रूकावट के लिए सदस्य एनएसडीएल के evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भेज कर अनुरोध कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 1020 990 तथा 1800 22 4430 पर संपर्क कर सकते हैं।</p>

(iv) **अलग-अलग शेयरधारकों को छोड़कर, शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों के लिए ईवोटिंग और वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए लॉगइन पद्धति।**

1) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें।

2) "शेयरहोल्डर्सयू मॉड्यूल्स" पर क्लिक करें।

3) अब अपना यूजर आईडी डालें

क. सीडीएसएल के लिए: शेयरधारक अपना 16 डिजिट का आईडी डालें_

ख. एनएसडीएल के लिए: 8 वर्णों का डीपी आईडी और 8 अंकों का क्लाइंट आईडी डालें_

ग. भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य कम्पनी में पंजीकृत अपना फोलियो नम्बर डालें।

4) इसके उपरान्त यथाप्रदर्शित इमेज वैरिफिकेशन की प्रविष्टि करें और लॉग इन पर क्लिक करें।

5) यदि आपके पास डीमैट के रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है और इससे पहले किसी और कम्पनी की ईवोटिंग की है तो आपको अपना मौजूदा पासवर्ड ही इस्तेमाल करना होगा।

6) यदि आप पहली बार इसका प्रयोग कर रहे हैं तो नीचे बताया गया तरीका अपनाएं:

	अलग-अलग शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों को छोड़कर, डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक
पैन	<p>आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 वर्णों व अंकों वाला पैन नं- डालें (डीमैट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू)।</p> <ul style="list-style-type: none"> जिन सदस्यों ने अपना पैन कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के पास अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कम्पनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम नं. का प्रयोग करें या कम्पनी/आरटीए से सम्पर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या	<p>लॉगइन करने के लिए आपने डीमैट खाते या कम्पनी में दिए गए रिकार्ड के अनुसार, लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि डालें।</p> <ul style="list-style-type: none"> यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कम्पनी के रिकार्ड में नहीं हैं तो

जन्म-तिथि

कृपया ऊपर निर्दिष्ट अनुदेश (iii) में यथानिर्दिष्ट लाभांश बैंक विवरण में सदस्यता आईडी/फोलियो नं. की प्रविष्टि करें।

- (v) इन विवरणों की उपयुक्त रूप से प्रविष्टि करने के बाद, 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
- (vi) उस समय भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य सीधे तौर पर कम्पनी की चयन स्क्रीन पर जाएंगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रिएशन' मैन्यू में जाएंगे, जहां उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का इस्तेमाल केवल डीमैट धारकों द्वारा ही किसी अन्य कम्पनी के संकल्पों के लिए वोट देने के लिए भी किया जा सकता है बशर्ते कि वह कम्पनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के जरिए ई-वोटिंग का विकल्प अपनाए। इस बात की दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें।
- (vii) भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य इस सूचना में निर्दिष्ट संकल्पों पर केवल ई-वोटिंग के लिए इन विवरणों का प्रयोग कर सकते हैं।
- (viii) आईएफसीआई के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- (ix) वोटिंग पृष्ठ पर आपको 'संकल्प विवरण' दिखाई देगा और उसके सामने वोट देने के लिए आपको 'हां/नहीं' का विकल्प दिखाई देगा। अपनी इच्छा के अनुसार 'हां' अथवा 'नहीं' का विकल्प चुनें। 'हां' विकल्प का अर्थ होगा कि आप संकल्प से सहमत हैं और 'नहीं' विकल्प का अर्थ होगा कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- (x) यदि आप समग्र संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो 'संकल्प फाइल लिंक' पर क्लिक करें।
- (xi) संकल्प का चयन करने के बाद आपने वोट करने का निर्णय किया है तो 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। तब आपको एक पुष्टि बॉक्स दिखाई देगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ओके' बटन

पर क्लिक करें और यदि आप अपना वोट बदलना चाहते हैं तो 'कैसिल' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट में संशोधन करें।

- (xii) एक बार संकल्प पर अपने वोट की 'पुष्टि' करने के बाद आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।
- (xiii) आप वोटिंग पेज पर 'प्रिंट के लिए यहां क्लिक करें' बटन पर क्लिक करके अपने द्वारा दिए गए वोट का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- (xiv) यदि डीमैट खाताधारक अपना बदला हुआ लॉग-इन करने का पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज वेरीफिकेशन कोड एंटर करें और 'फॉरगेट पासवर्ड' पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दें।

(xv) **व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए रिमोट वोटिंग सुविधा**

- व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों (अर्थात् किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, गैर निवासी भारतीय आदि को छोड़कर) तथा अभिरक्षक के लिए यह अपेक्षित है कि वे www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और "कॉर्पोरेट" के रूप में स्वयं को पंजीकृत करें।
- संस्था को हस्ताक्षरित तथा मुहर लगे पंजीकरण प्रपत्र की एक स्कैन की गई कापी helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करनी होगी।
- लॉग-इन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए एक अनुपालन प्रयोक्ता का सृजन करना होगा। अनुपालन प्रयोक्ता उन्हें उस खाते (खातों) के साथ जोड़ेगा, जहां वे वोट करना चाहता है।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल से भेजनी होगी और जिससे वे खातों के अनुमोदन के बाद अपना वोट डाल सकेंगे।
- उन्हें बोर्ड संकल्प व मुख्तारनामे की स्कैन की गई एक प्रति सिस्टम में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी जिसे उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया हो, ताकि पड़ताल करने वाला

प्राधिकारी उसका सत्यापन कर सके।

- वैकल्पिक रूप से, गैर व्यक्तिगत शेयरधारकों को सम्बन्धित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि साथ में विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित, जो वोट देने के लिए अधिकृत है, पड़ताल अधिकारी और कम्पनी को ई-मेल पते अर्थात् complianceofficer@ifcilt.com पर भेजनी होगी, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है और सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली से इसे अपलोड नहीं किया है, तो पड़ताल अधिकारी को सत्यापित करने के लिए भेजा जाएगा।

उन शेयरधारकों के लिए पद्धति, जिनके ई-मेल आईडी इस सूचना में प्रस्तावित संकल्पों के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगइन साख प्राप्त करने के लिए भागीदारों के पास पंजीकृत नहीं हैं

<p>भौतिक शेयरधारकों के लिए</p>	<p>कृपया फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) जैसे विवरण ईमेल के द्वारा कम्पनी/आरएण्डएसटीए की ईमेल आईडी पर भेजें।</p>
<p>डीमैट शेयरधारकों के लिए</p>	<p>कृपया डीमैट खाते के विवरण (सीडीएसएल का 16 अंकों वाला हितोपभोगी का आईडी या एनएसडीएल का 16 अंकों वाला डीपी आईडी व क्लार्ईट आईडी), नाम, क्लार्ईट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति पैन (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति)कम्पनी/ आरएण्डएसटीए की ईमेल आईडी पर भेजें।</p>

यदि ईजीएम में उपस्थित होने तथा सीडीएसएल की ई-वोटिंग पद्धति से ईवोटिंग के सम्बन्ध में आपका कोई प्रश्न अथवा मुद्दा हो तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या 022-23058738 और 022-23058542/43 पर सम्पर्क कर सकते हैं। ईवोटिंग की सुविधा से सम्बन्धित सभी शिकायतें निम्नलिखित को सम्बोधित की जाएं:

श्री राकेश दलवी, प्रबन्धक
सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसेस (इंडिया लिमिटेड)
ए विंग, 25वां तल, मैराथान फ्यूचरेक्स
मफतलाल मिल कम्पाउंड्स
एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई)
मुम्बई - 400 013
ई-मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com
फोन नं- 022-23058542/43

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 1

श्री के कादिरेसन, (डीआईएन: 09551363) को आपकी कंपनी के बोर्ड में 30 मार्च, 2022 को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की संस्तुति की है।

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक वैध नोटिस प्राप्त हुआ है। श्री के कादिरेसन का संक्षिप्त प्रोफ़ाइल "सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36 के तहत यथा अनिवार्य नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों के बारे में जानकारी" नोटिस के साथ संलग्न है।

श्री के कादिरेसन का प्रस्ताव में रुचि है क्योंकि यह उनकी नियुक्ति से संबंधित है। कंपनी के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी संकल्प के साथ संबंध नहीं है और न ही इसमें उनकी कोई वित्तीय या अन्यथा रुचि है।

बोर्ड का मानना है कि उनके निरंतर जुड़ाव से कंपनी को अत्यंत लाभ होगा, और यह वांछनीय होगा कि उनकी सेवाओं का लाभ उठाना जारी रखा जाए। तदनुसार, आपके निदेशक श्री के कादिरेसन की निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की अनुशंसा करते हैं जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।

पंजीकृत कार्यालय :

आईएफसीआई टावर

61, नेहरू प्लेस

नई दिल्ली-110019

सीआईएन: L74899DL1993GOI053677

दूरभाष: 011-41732000

फैक्स: 011-26230201

वेबसाइट: www.ifcilttd.com

ईमेल: Complianceofficer@ifcilttd.com

निदेशक मंडल के आदेश से

(प्रियंका शर्मा)
कंपनी सचिव

दिनांक: 30 मार्च, 2022

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36 के अंतर्गत यथा अनिवार्य नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों के बारे में सूचना निम्नानुसार है:

श्री के कदिरेसन, (डीआईएन: 09551363), जिनकी आयु लगभग 60 वर्ष है, जनसंचार और विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं। वह अंग्रेजी साहित्य में स्नातक भी हैं।

श्री के कदिरेसन ने 26 अप्रैल, 2019 को एलआईसी के दक्षिणी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले, वह मुंबई में एलआईसी के कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यकारी निदेशक थे। श्री कदिरेसन को पूरे भारत में विपणन का दो दशकों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने एलआईसी की पहली पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक - एलआईसी सिंगापुर प्रा° लिमिटेड की स्थापना की है, और 2012 से 2015 तक इसके पहले सीईओ के रूप में कार्य किया है।

बीमा उद्योग में तीन दशकों से अधिक के करियर में, उन्होंने एलआईसी के सामान्य प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन प्रबंधन और निवेश कार्यों को संभाला है। मार्केटिंग उनकी रुचि का विशेष क्षेत्र है।

वह उक्त संकल्प में रुचि रखते हैं क्योंकि यह उनकी नियुक्ति से संबंधित है।

कंपनी के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी संकल्प के साथ संबंध नहीं है और न ही इसमें उनकी कोई वित्तीय या अन्यथा रुचि है।

उन्होंने जून 2018 से जून 2021 तक, 3 वर्षों के लिए यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में कार्य किया था। उपरोक्त के अलावा, वे पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी सूचीबद्ध इकाई के बोर्ड में नहीं रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आईएफसीआई लिमिटेड के अलावा, श्री के कदिरेसन के पास किसी अन्य सूचीबद्ध संस्था की कोई अन्य निदेशिता, सदस्यता/अध्यक्षता नहीं है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में आईएफसीआई लिमिटेड में किसी भी समिति के सदस्य नहीं हैं।

श्री के कदिरेसन की आईएफसीआई लिमिटेड में कोई शेयरधारिता (लाभार्थी स्वामित्व सहित) नहीं है